मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 1996 (फाल्गुन 7, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हजारीलाल रघुवंशी, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, ओंकार प्रसाद तिवारी, प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नन्हेलाल धुर्वे, बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम झिलमिला में एक सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

" मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1996–97 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

5. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

" मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1996–97 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो".

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

" मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223–ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1996–97 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो".

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

" मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234–ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 1996–97 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच–पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों".

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा

राजगढ़ जिले के ग्राम घुआड़ल्या में दिनांक 9 जून, 1994 को घटित घटना तथा पुलिस कार्यवाही विषयक प्रतिवेदन पर चर्चा.

9. वर्ष 1996–97 के आय–व्ययक का उपस्थापन

3.00 बजे

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1996–97 के आय–व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 1996